न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

मु0नं0 67/2016

तारीख रजू :– 27.10.2016

पीठासीन अधिकारी रामनिवास मीना (R.A.S.)

1. राजन्ती पत्नि स्व0 पृथ्वीराज	सभी जातियान् मीना
2. कुसुम पुत्री पृथ्वीराज	निवासी दानालपुर
3. सुनीता पुत्री पृथ्वीराज	तह0 हिण्डौन सिटी जिला करौली।

..... वादीगण

बनाम

1. रामअवतार सिंह पुत्र श्योदानसिंह	
2. जनकसिंह पुत्र श्योदानसिंह	सभी जातियान् राजपूत
3 बृजसिंह पुत्र श्योदानसिंह	निवासी नादौती तह0 नादौती
4.महेन्द्रसिंह पुत्र श्योदानसिंह	जिला करौली।

5.रामचरण पुत्र किशोरी जाति मीना निवासी दानालपुर तह0 हिण्डौन सिटी जिला करौली।

6.लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती जिला करौली।

7.उप पंजीयक कार्यालय नादौती।

..... प्रतिवादीगण

दावा बावत घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा तहत धारा 88, 207,188 राज0 टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री दिनेश प्रसाद मीना एडवोकेट वादीगण की ओर से

2.श्री शीशराम डोई एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से

3. श्री मिथलेश सिह एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक :–17.12.2020

दावा में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण दावा बावत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया कि वादी सं0 1 के पति तथा वादी सं0 2 व 3 के पिता पृथ्वीराज पुत्र नाथूराम व प्रतिवादी सं0 5 ने

संयुक्त रूप से साबिक भूमि ख0नं0 742 रकवा 4 बीघा 19 विस्वा स्थित ग्राम नादौती में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/4 में से 1 बीघा भूमि दिनांक 08.01.1975 को जरिये रजिस्ट्री क्रय की थी, जिसका नामा0 सं0 234 दिनांक 02.02.1975 को तस्दीक हुआ था। जो भूमि विक्रय पत्र की नकल तथा नामा0 की नकल से साबित है तथा उक्त विक्रय पत्र अनुसार भूमि ख0नं0 742 में से पृथक नम्बर 742/2 कायम कर दिये थें।

वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने राजस्व कर्मचारियों की मिलीभगत से वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि साबिक ख0नं0 742/2 जिसके नये ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 कायम किये थे, उसके राजस्व रिकार्ड में वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/5 दर्ज करा लिया जो गलत है जबकि वादीगण हाल भूमि ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्से के हकदार है तथा प्रतिवादी सं0 5 उक्त भूमि में 1/2 हिस्से की भूमि का हकदार है। राजस्व कर्मचारियों व प्रतिवादीगण को रिकार्ड में हेरा–फेरी करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं था, इनकी उक्त कार्यवाही अवैध है जो दुरूस्ती के काबिल है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि हाल भूमि ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 का ही कब्जा चला आ रहा है, ये ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है, लेकिन हाल राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/5 दर्ज है। जो गलत है। प्रतिवादीगण इसका फायदा उठाते हुये भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर प्रतिवादीगण उतारू है। इसलिए श्रीमान के यहां यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि वादीगण अपनी भूमि हाल ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर भूमि में से अपने हिस्से की भूमि को आबादी में परिवर्तन कराने के लिए तहसील कार्यालय नादौती से जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा ट्रेस लेने पर पता लगा कि उक्त भूमि ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर में वादीगण का हिस्सा गलत दर्ज है। तब वादीगण रिकार्ड में शुद्धिकरण कराने के लिए प्रतिवादीगण के पास गये तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया की उक्त रिकार्ड के शुद्धिकरण के लिए हम राजी नहीं है, हमारे नाम गलत दर्ज इस भूमि का हम कभी भी विक्रय कर सकते है। क्योंकि भूमि हमारे नाम दर्ज है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने नाम हाल भूमि ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर में हिस्सा गलत दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण भूमि को खुर्द–बुर्द कर भूमि का बेचान करने पर उतारू है। इसलिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि दिनांक 01.07.2016 को वादीगण द्वारा तहसील कार्यालय नादौती से जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, मिलान क्षेत्रफल लेकर रिकार्ड का अवलोकन करने व प्रतिवादीगण द्वारा सहयोग नहीं करने तथा भूमि को विक्रय करने की धमकी देने के कारण वाद कारण पैदा हुआ है, जो दावा अन्दर मियाद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि वादी सं0 1 के पुत्र व वादी सं0 2 व 3 के भाई मनोज कुमार पुत्र पृथ्वीराज की मृत्यु होने के कारण मनोज कुमार का हिस्सा वादीगण 1 लगायत 3 के नाम होना तय है क्योंकि मनोज कुमार अविवाहित था, तभी मृत्यु हो गयी है, मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि विवादित भूमि ख0नं0 2473/2653 स्थित ग्राम नादौती में होने के कारण न्यायालय हाजा को सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार नादौती व सब रजिस्टार नादौती दावे के पक्षकार बनाये है।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि दावा बावत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा का है, जिस पर कोर्ट फीस 3/—रूपये पेश है जो पर्याप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 11 के उपमद (क) में दर्ज किया है कि भूमि हाल ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर स्थित ग्राम नादौती में वादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित किये जावे तथा तहसीलदार नादौती को इन्द्राज दुरूस्ती के आदेश केये जावे। (ख) में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की भूमि के उपयोग—उपभोग में दखलान्दाजी नहीं करें।

दावा/वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 लगायत 7 को जरिये नोटिस तलब किया गया, सभी की तामील होने के वाद प्रतिवादी सं0 1 लगायत 5 वाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव वाद पत्र पेश किया।

प्रतिवादीगण द्वारा जबाव वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के वाद नं0 1 मे वर्णित कथन स्वीकार है तथा भूमि हाल ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर स्थित ग्राम नादौती पर वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 का संयुक्त रूप से काबिज है।

जबाव वाद पत्र के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि वाद पत्र के मद नं0 2 मे वर्णित कथन स्वीकार है, भूमि हाल ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर में वादीगण 1/2 हिस्से के हकदार है तथा प्रतिवादी सं0 5 हिस्से 1/2 भूमि के हकदार है।

जबाव वाद पत्र के मद नं0 3 लगायत 7 मे दर्ज किया है कि सभी कथन स्वीकार है।

जबाव वाद पत्र के मद नं0 8 लगायत 10 मे दर्ज किया है कि उक्त मदों में वर्णित तथ्य कानूनी होने के कारण **मोहताज** जबाव नहीं है।

जबाव वाद पत्र के मद नं0 11 के उपमद (क) में दर्ज किया है कि विवादित भूमि हाल ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर स्थित ग्राम नादौती में वादीगण को 1/2 हिस्से की भूमि का व प्रतिवादी सं0 5 को 1/2 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित किये जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 का नाम जमाबन्दी से हजफ किया जावें।

जबाव वाद पत्र को पत्रावली में शामिल किया जाकर तनकीयात कायम की गई वादीगण की ओर से बतौर साक्षी अपने—अपने शपथ पत्र पेश किये गये। प्रतिवादी सं0 5 द्वारा बतौर साक्ष्य अपना शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा लम्बी अवधि के बाद भी अपने अन्य साक्षी पेश नहीं किये गये।

वादीगण व प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा बहस की गई तथा दोनो अधिवक्तागणों द्वारा राजस्व न्यायालयों के निर्णयों की नजीर पेश की गई।

दोनो पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस व पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का अवलोकन करने पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि साबिक भूमि ख0नं0 742

कवा 4 बीघा 19 विस्वा स्थित ग्राम नादौती में से प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/4 में से बीघा भूमि दिनांक 08.01.1975 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा पृथ्वीराज मीना व प्रतिवादी सं0 को बेचान की गई थी। जिसका नामा0 सं0 234 दिनांक 02.02.1975 को तत्कालीन सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया था, जिसकी नकल वादीगण द्वारा पेश की गई है। विक्रय पत्र अनुसार साबिक भूमि ख0नं0 742 में से पृथक नम्बर 742/2 कायम दोनो पक्षकारो के वेद्ववान अधिवकताओं के जबाब अनुसार कायम किये गये है ।

सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा 742/2 के नवीन ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर कायम किये है जो संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबित है।वर्तमान राजस्व रिकार्ड अनुसार भूमि ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर भूमि स्थित ग्राम नादौती मे वादीगण व प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/5 तथा प्रतिवादी सं0 1 का हिस्सा 1/20, प्रतिवादी सं0 2 ता 4 का हिस्सा 3/4 दर्ज कर रखा है। प्रतिवादी सं0 1 द्वारा भूमि का बेचान पत्र किया था बरबक्त सेटिलमेन्ट द्वारा भूमि ख0नं0 742 में से एक अन्य नम्बर 742/2 कायम किये गये थे, सेटिलमेन्ट द्वारा ख0नं0 742/2 के ही नये नम्बर 2473/2653 कायम किये थे, जिसके खातेदार वादीगण का हिस्सा 1/2 व प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/2 कानूनन हकदार होने चाहिये थे तथा उक्त ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 का कोई संबंध ही नही है। सेटिलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 4 का हिस्सा दर्ज कर कानूनी भूल की गई है। इसलिए दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार नादौती को आदेश दिये जाते है कि हाल भूमि ख0नं0 2473/2653 रकवा 0.28 हैक्टर भूमि स्थित ग्राम नादौती में वादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी सं0 5 का हिस्सा 1/2 दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर वाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रामनिवास मीना (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, नादौती
जिला–करौली